	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2025	अपील संख्या 18/2025 बअनवान यारूखान वगैरह बनाम सरकार वगै.	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

आदेश

दिनांक 21.07.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री तन्जुल हुसैन
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष को विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण के पिता की पुश्तैनी कब्जे काश्त व समरी सेटलमेंट की भूमि मौजा कोठा के वर्तमान खसरा संख्या 343 रकबा 6.9089 हैक्टेयर व खसरा संख्या 537 रकबा 24.8201 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिताजी स्व. रमजान खान जाति मुसलमान इस वादग्रस्त आराजी पर वक्त समरी बंदोबस्त से लेकर स्थाई बंदोबस्त तक व उसके पश्चात अपने जीवनकाल तक इस आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते रहे। भू प्रबन्ध विभाग वालों ने दौराने पैमाईश मौके पर पैमाईश की थी और वक्त पैमाईश उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होते हुए भी गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रद्दोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट की अपील का उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामलां प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी में अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, फतेहगढ के राजस्व आवेदन संख्या 08/2025 ब्रउनवान यारूखान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 20.05.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 21.07.2025 को सुनाया गया।

21/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर